MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record... *(Interruptions)*

Nothing will go on *record...(Interruptions)*

SHRI AMAR SINGH: ....*(Interruptions)*

MR. CHAIRMAN: The T.V. cameras should be switched *oft...(Interruptions)*

Shri Narendra Mohan.

श्री नरेन्द्र मोहन : सभापति जी, मैं ... (**व्यवधान**) ...

MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record... *(Interruptions)*

The House is adjourned for 15 minutes.

The House then adjourned at six minutes past twelve of the clock.

The House reassembled at twenty-nine minutes past twelve of the clock.

MR. CHAIRMAN in the Chair.

SPECIAL MENTIONS

Pitiable Condition of Safai Karamcharis due to Inadequate Laws

MR. CHAIRMAN: Shri Narendra Mohan.

श्री नरेन्द्र मोहन (उत्तर प्रदेश) **:** सभापति जी, मैं आपका कृतज्ञ हूं जो आपने मुझे इस अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रश्न पर बोलने की अनुमति दी

महोदय, सफाई कर्मचारियों की स्थिति हमारे देश में दिन प्रतिदिन खराब ही होती जा रही हैं। आज स्थिति यह है कि उनकी आए दिन मौमे हो जाती हैं। वे मेन-होल में सफाई करने के लिए जाते हैं और वहां उनका दम घुट जाता हैं। ऐसी घटनायें केवल दो-चार ही हो रही हैं,ऐसा नहीं है। उत्तर प्रदेश हर महीने में तीन-चार ऐसी घटनायों हो ही जाती हैं।

पिछले दिनों ऐसी एक घटना गाज़ियाबाद मे हुई जहां सफाई कर्मचारियों की मैनहोल में घुसने के कारण मौत हुई। सारे देश में इस प्रकार की मौतें होती रहती हैं। ऐसी कितनी मौतें हो जाती हैं, इसका विशेष आंकड़ा हमारे पास उपलब्ध नहीं हैं, इसका विशेष आंकड़ा हमारे पास उपलब्ध नहीं हैं। यदि भारत सरकार के पास उपलब्ध हो तो यह आंकड़ा हमारे पास प्रस्तुत करना चाहिये। सवाल यह हैं कि सफाई कर्मचारियों की कार्य दशा के बारे में पिछले 50 वर्षों में क्या सुधार हुआ? भारत के संविधान का अनुसंधान 46 और 47 इस बात की घोषणा करता हैं कि राज्य, जनता के दुर्बल वर्गो के सामाजिक अन्याय और शोषण से उसकी संरक्षण करेगा। संविधान का अनुच्छेद 47 यह कहता हैं कि लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का कार्य राज्य सरकार का हैं। अब राज्य सरकार कर है, इसलिए केन्द्र सरकार केवल एक सामान्य सा कानून बना कर के अपने कर्त्तव्य की इतिश्री माल ले, तो यह निश्चित रूप से उचित नहीं हैं। सफाई कर्मचारियों के संबंध में माननीय सभापति जी, केवल एक कानून है भारत सरकार के पास, उसका नाम हैं- The Employment of Menial Scavengers and Construction of Dry Latrines Prohibition Act, 1993. केवल इसके तहत उन्हें कार्य करना पड़ रहा है। कार्य दशाएं उनकी कैसी हैं? उनको बिना किसी उपकरण के मैनहोल में घुसना पड़ता है जहां हर तरह की गंदगी और जहरीली गैसें रहती हैं। उन्के मास्क भी नहीं दिये जाते हैं। परिणाम यह हो रहा हैं कि आए दिन इस प्रकार की मौतें हो रही हैं। आज अपने देश में लगभग 10 हजार नगरों की संख्या हैं। हर नगर में ... (**व्यवधान**)

MR. CHAIRMAN: Piei.re complete in three minutes.

श्री नरेन्द्र मोहन : मान्यवर, मैंने कल भी आपसे अनुरोध किया था।

श्री सभापति : तीन मिनट में अपनी बात कह दीजिये।

श्री नरेन्द्र मोहन : मैं अपनी बात कह रहा हूं।

श्री सभापति : ठीक हैं।

श्री नरेन्द्र कुमार : आज सफाई कर्मचारियों की संख्या कम से कम डेढ़ करोड़ होनी चाहिये सारे देश में और इस विशाल वर्ग के लिए पर्याप्त कानून नहीं बनाया जाए और मातें होती रहें, इसका कोई औचित्य नहीं हैं। दुनियां के तमाम देशों में जहां मैनहोल की सफाई करने के लिए बड़े-बड़े संयंत्र लगाए जाते हैं, हमारे देश में भी नगरपालिकाओं के पास, महानगरपालिकाओं के पास कुछ संयंत्र हैं लेकिन अधिकांशतः फिर भी सफाई कर्मचारियों को उनमें प्रवेश कर के अपना कार्य हाथों से करना पड़ता हैं। वह मैनहोल में नीचे उतरते हैं जहां जहरीली गैसें होती हैं जिसका दुष्प्रभाव उनके स्वास्थ्य पर पड़ता हैं। उनके स्वास्थ्य के प्रति किसी की भी कोई जिम्मेदारी नहीं बन पाती हैं। प्रश्न यह हैं कि राज्य सरकारों पर इसको छोड़ दे तो क्या इससे काम चल पाएगा। भारत सरकार दुर्बल वर्ग के प्रति, वंचित वर्ग के प्रति और शोषित वर्ग के प्रति बहुत चिन्तित हैं। परन्तु।

पिछले 50 वर्षो से चिन्ता व्यक्त करते आए हैं, इसका परिणाम क्या हैं? चिन्ता का परिणाम यह हैं कि आज भी पर्याप्त कानून नहीं बना हैं। यह चिन्ता एक प्रकार की दिखावटी चिन्ता बन कर रह गई। जिन पर सारे समाज की स्वास्थ्य की रक्षा करने कर दायित्व है, जिन पर नगरों की सफाई, करने का दायित्व है, क्या उनकी रक्षा करने, वास्तविक रक्षा करने का कोई दायित्व भारत सरकार का नहीं है? मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा कि इन सफाई कर्मचारियों की दशा को सुधारने के लिए, उन के लिए निश्चित रूप से विशेष कानून बनाया जाना चाहिये जबकि कामगारों, मजदूरों के लिए कानून हैं। अगर फैक्टरी में कोई मौत हो जाती हैं तो उसको कम्पनसेशन दिया जाने के लिए कानून हैं लेकिन सफाई कर्मचारियों की अगर मौत हो जाती है तो उसको क्या मुआवज़ा मिलेगा, इसके लिए कोई कानून भारत सरकार के पास नहीं हैं या किसी राज्य सरकार के पास नहीं हैं। यह अजीब बात हैं कि छोटी-छोटी मौतों पर तो कानून बना देते हैं, कम्पनसेशन देते हैं लेकिन सफाई कर्मचारी जो हमारे देश की एक प्रकार की धुरी है, जिस पर सारे राष्ट्र का स्वास्थ्य निर्भर करता है, उनकी रक्षा के लिए पर्याप्त कानून क्यों नहीं बनाया जा सकता। यही नहीं हमारे देश में इन सफाई कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा योजना भी होनी चाहिये जिस प्रकार की सामूहिक बीमा योजना कामगारों के लिए देश के अन्य भागों में हैं। हम इन सफाई कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा योजना क्यों नहीं बना सकते हैं? सभापति महोदय, नगरपालिकाओं और महानगरपालिकाओं के लिए यह अनिवार्य कर दें कि उनके यहां जो भी सफाई कर्मचारी हैं, उनके लिए सामूहिक बीमा योजना को वे लागू करेंगे ताकि उनके जीवन का संरक्षण हो सके। इसी प्रकार सामूहिक स्वास्थ्य बीमा योजना भी इन पर लागू की जा सकती हैं। सामान्य कर्मचारियों के लिए, श्रमिकों के लिए ई0एस0आई0 है, इंप्लाययीज स्टेट इंश्योरेंस स्कीम हैं। ऐसी कोई भी स्कीम सफाई हैं। यह कौन सोचेगा उनके लिए? भारत सरका ने जो कुछ भी अभी तक किया है वह तो नितांत अपर्याप्त रहा हैं। मैं अपनी वर्तमान सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि इस दुर्बल वर्ग के प्रति, वंचित वर्ग के प्रति वह विशेष रूचि लेकर ऐसा कानून बनाए ताकि उनकी जो मौतें हो रही हैं वह उनसे बचें। यदि इनकी कार्य दशा में सुधार नहीं होता हैं तासे बहुत कठिनाई आ जाएगी।

आज सफाई कर्मचारी संगठित नहीं हैं। लेकिन संगठित न होने के अर्थ यह नहीं हो जाता कि उनकी उपेक्षा कर दी जाए। माननीय सभापति जी, जो भी एक यह छोटा-मोटा कानून हैं इंप्लायमेंट आफ मैनुअल स्कैंवेंजर्स एण्ड कांस्ट्रक्शन आफ ड्राई लैटिन्स (प्रोहिबीशन) एक्ट, इसके अंतर्गत भी भारत सरकार का यह दायित्व बन जाता है कि वह राज्य सरकारों सें सफाई कर्मचारियों के बारे में नियमित रूप से रिपोर्ट मांगे कि उनकी क्या दशा है, क्या कार्यदशा हैं। लेकिन मेरा अनुमान है, अगर गलत हो तो भारत सरकार ठीक जानकारी देगी, कि आज तक भारत सरकार ने मेरी जानकारी के अनुसार कभी भी सफाई कर्मचारियों की दुर्दशा के बारे में, उनकी स्थिति के बारे में, कार्यदशा के बारे में किसी भी राज्य सरकार से कोई भी रिपोर्ट नहीं मांगी। ऐसा नहीं हैं कि जब मैनहोलों में जाकर मौतें हो जाती हैं तो इनकी जानकारी भारत सरकार को न मिलती हो। लेकिन भारत सरकार को मिलने के बाद भी , गाजियाबाद में होने वाली मौतों के बाद भी भारत सरकार ने इन राज्य सरकारों से कोई जानकारी मांगी हो ऐसा मुझे नहीं पता चलता है जबकि उन्हें इस बात का अधिकार है कि वे इसकी जानकारी मांगे।

मेरा आपसे यह अनुरोध है सभापति जी कि आप भारत सरकार को इस संदर्भ में आवश्यक निर्देश दें ताकि सफाई कर्मचारियों की जो दुर्दशा है वह ठीक हो सके।

कुमारी निर्मला देशपांडेय (नाम-निर्देशिता): भारत सरकार द्वारा सफाई कर्मचारी आयोग जो स्थापित हुआ हैं उसकर एक रिपोर्ट भारत सरकार को पेश हुई है जिसमें सफाई कर्मचारी के सर्वागीण विकास के लिए उनके दुख-दर्द दूर करने के लिए बहुत अच्छे सुझाव दिए गए हैं। अगर सरकार उस रिपोर्ट की तरफ देखे और उस पर अमल करे तो बहुत कुछ उन्हें राहत मिल सकती हैं। धनयवाद।

श्री एच0 हनुमनतप्पा (कर्णाटक): सफाई कर्मचारियों के बारे मे बहुत सारी बाते चल रही हैं। इसमें कर्णाटक सरकार ने एक लीड ली हैं। उन्होंने एक डेट का ऐनलान किया कि इसके दूसरे दिन से मैला ढोने का इंतजाम नहीं होगा। हम सफाई कर्मचारी और भंगी मुक्ति के लिए इतना सारा बजट तैयार करते हैं कि 5,000 करोड़ चाहिए, 15,000 करोड़ चाहिए, कि एम0पीज0 की, कमिशनर की या रईस आदमियों की लैबोरेट्री कन्वर्ट करने की स्कीम बना रहे हैं लेकिन एक दिन तय नहीं करते कि इसके दूसरे दिन से यह सर्विस नहीं मिलेगी। जो उसको कन्वर्ट कर सकते हैं वे खुद

कर लेंगे। जो कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं उनको अगर जरूरत हो तो सब्सिडी दें, पैसा दें।

उसको बंद करने का मन नहीं हैं। इसमें पोलिटिकल विल नहीं हैं। इसीलिए सफाई कर्मचारी आयोग, इसके बजट का इंतजाम आदि यह सब हो रहा हैं। कर्णाटक में हमने एक दिन यह डिसीजन ले लिया कि कल से इसका इंतजाम नहीं होगा। अपने आप कन्वर्ट हो गया। उन लोगों को पूर्णकार्मिक बना दिया स्वीपिंग के लिए और मैला ढोने का काम बंद करा दिया। ऐसा मन नहीं हैं। कहते हैं हम तो पैसा इकट्ठा जोड़ते हैं कि 15,000 करोड़ चाहिए, 50,000 करोड़ चाहिए। यह बोलकर उसको टालते जा रहे हैं। सिम्पैथी नहीं है। इसके लिए पोलिटिकल विल चाहिए, कन चाहिए।यह अपमानजनक काम हैं। इसको बंद करना चाहिए। यह तन करने की जरूरत हैं। पैसे की जरूरत नहीं हैं। पैसा अपने आप आ जाएगा। जैसे दिल्ली में जितने क्वार्टर्स हैं उनको कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इतना पैसा हो जाएगा। क्या जरूरत हैं? जो कन्वर्ट कर सकते हैं वे उसके लिए अगर सहायता चाहिए तो कर्ज दे सकते हैं, सब्सिडी दे सकते हैं। लेकिन बंद करने का मन नहीं हैं। यह मन बनाना हैं और पोलिटिकल विल की जरूरत हैं। यह करने से वह भंगी मुक्ति हो सकती है, नहीं तो सिम्पैथी से बातों से यह नहीं होगा।

श्री नरेन्द्र मोहन : क्या आप विशेष कानून की आवश्यकता नहीं समझते?

श्री सभापति : चलिए हो गया।

श्री एच0 हनुमनतप्पा : कानून से नहीं होगा यह काम।

V.H.P.'s plan to construct Ram Temple at Ayodhya

SHRI VAYALAR RAVI (Kerala): Sir, I rise to draw the attention of the Prime Minister and the Government to a serious matter of preparations by the VHP to construct a Ram temple at Ayodhya Sir, according to the reports and according to the evidence, the preparation is going on for some time. According to *The Hindu,* a national daily, it is going on at three places, Sompura Marble Industries and Temple Works. Madhava Shilpa Kala Kcndra, and Bharat Shilpa Kala Kcndra. At three places it is going on. It is confirmed by Mr. Singhal, who is President of the VHP. Asserting that the temple would be definitely built at the disputed site, Mr. Singhal said, "Stone carving work is being carried out by Shri Ram Temple Nyas." This is reported by the *Hindustan Times* yesterday. It is very clear that the preparation is going on. Apart from making statements and assurances, nothing is being done by the Government. We cannot believe what the Government or the leaders of the Government say today. Sir, we all remember and you also remember the black day in the history of India, December 6, 1992. That day everybody expected that the assurance given by Mr. L.K. Advani, the present Home Minister, in the other House, as well as the assurance given by persons like Mr. Murli Manohar Joshi in this House and also the undertaking given by the then Chief Minister of Uttar Pradesh, Mr. Kalyan Singh, before the Supreme Court would be fulfilled. Everybody expected that the assurances would be kept. What was the assurance? Even in the National Integration Council and everywhere they said that no harm would be done to the Babri Masjid. Everybody knows what happened then and what happened later in this country. A number of people were killed and tension was created. Indian people faced an ordeal abroad. I myself am a witness to it. I went abroad to certain countries to see how people of those countries were reacting to this. They thought that this was the land of Mahatma Gandhi and Jawaharlal Nehru where secularism is one of the major faiths of the Indian people. We destroyed this in December, 1992.

The preparation is going on every day and I am afraid. I am raising this specifically because today the same person is the Chief Minister of that State. He is the same person who has violated and wen? for a days imprisonment for contempt of the Supreme Court. The same person is the Chief Minister today. The House cannot have trust in that